अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९ )

आदेश पत्रक - ता0........................से........................तक

जिला........................, सं0........................, सन् १९........................

केस का प्रकार........................

| आदेश की क्रम संख्या तिथि तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3 |
|---|---|---|
| 04/04/2023 | (see below) | |

# न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः-59/2022

रिंकू भारती.........................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

सुनीता भारती एवं राज्य.....................रेसपॉण्डेन्ट

## -:: आदेश ::-

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद रिंकू भारती, पति-चन्दन कुमार भारती, ग्राम-कोरियापट्टी, वार्ड नं0-12, थाना-जदिया, जिला-सुपौल उनके द्वारा दायर C.W.J.C No.-3314/2021 दिनांक 05.04.2022 को पारित आदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के चयन हेतु जिला पदाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 20.07.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत-कोरियापट्टी, प्रखंड+अनुमंडल-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु विपक्षी सुनीता भारती, पति-अजय कुमार आलोक का चयन किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है।

वादी के द्वारा समर्पित वाद-पत्र में उनका मूल रूप से कहना है कि ग्राम पंचायत- कोरियापट्टी, थाना-जदिया के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के लिए अनुसूचित जाति से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वादी सहित अन्य के द्वारा आवेदन किया गया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल के द्वारा औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें वादी का नाम क्रम सं0-01 पर था। जिला पदाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में पुनः दिनांक 20.07.2018 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु सम्पन्न जिला चयन समिति की बैठक की कार्यवाही में विपक्षी सुनीता भारती का चयन कर दिया गया। वादी का कहना है कि उनके द्वारा अपने आवेदन में अपनी शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट दर्शाया गया है। जबकि बैठक में उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक दर्शाया है एवं विपक्षी की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। इस प्रकार उच्चतर शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद

Qani

उनसे कम योग्यताधारी विपक्षी सुनीता भारती का चयन कर दिया गया तथा उन्हें अनुज्ञप्ति भी निर्गत कर दी गई। विपक्षी की कम्प्यूटर योग्यता संबंधी कॉलम भी रिक्त है। वादी द्वारा इस संबंध में लिखित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल को भी दिया गया। परंतु कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। वादी का कहना है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट है जबकि चयन सूची में बी0ए0 दिखलाया गया है जबकि वादी के द्वारा बी0ए0 किया गया नहीं है तथा वादी द्वारा आवेदन के साथ ही कम्प्यूटर शिक्षा का प्रमाण-पत्र भी संलग्न कर दिया गया एवं Verification के समय इसे दिखलाया भी गया फिर भी गलत तरीके से विपक्षी का चयन कर लिया गया।

विपक्षी सुनीता भारती की ओर से लिखित बहस दाखिल कर बताया गया है कि उन्हें ग्राम पंचायत-कोरियापट्टी, प्रखंड+अनुमंडल-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु विधिवत पूरी जाँच प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात जिला चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। उनका कहना है कि जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति की कंडिका-2 में स्पष्ट किया गया है कि उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक मैट्रिक पास एवं वयस्क होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जायेगा। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य और उसमें समानता होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुज्ञप्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति की कंडिका-2 में वर्णित निदेश के आलोक में विपक्षी सुनीता भारती के चयन को सही बताया गया है एवं आवेदन में कम्प्यूटर कॉलम में प्रविष्टि छूटना, भूलवश खाली बताया गया है तथा पुनरीक्षणवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुंनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु विहित प्रपत्र (अनुसूची-1) मूल आवेदन की कंडिका-1 (च), जो कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित है, के समक्ष "नहीं" अंकित किया गया है तथा आवेदन के साथ कम्प्यूटर योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं किया गया है जबकि विपक्षी सं0-03 के द्वारा उक्त विहित प्रपत्र मूल आवेदन के साथ वांछित शैक्षणिक योग्यता के साथ कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। अतः जिला चयन

समिति के द्वारा ग्राम पंचायत-कोरियापट्टी, प्रखंड+अनुमंडल-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु किया गया चयन बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-9(V) के अनुरूप एवं सही है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदालोक में इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

8/8/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

8/8/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

# न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2180 सु०/विधि सहरसा, दिनांक 10-8-2023

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0वाद सं0-59/2022 में दिनांक-08.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उनसे प्राप्त सुनीता भारती से संबंधित संचिका (कुल-17 पन्ना मूल में) तथा रिंकू भारती से संबंधित संचिका (कुल-14 पन्ना मूल में) संलग्न कर वापस किया जाता है

प्रतिलिपि :- रिंकू भारती, पति-चन्दन कुमार भारती / सुनीता भारती, पति-अजय कुमार आलोक दोनों सा0-कोरियापट्टी, थाना-जदिया, प्रखंड-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिप :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।